13

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,

झाँसी

कार्य परिषद की बैठक

दिनांक 15-06-2018
की कार्यवाही

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

दिनांक 15.06.2018 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आहूत कार्य परिषद् की बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति –

1. प्रो. सुरेन्द्र दुबे	– कुलपति / अध्यक्ष
2. प्रो. आर. के. सैनी	– सदस्य
3. प्रो. पूनम पुरी	– सदस्य
4. प्रो. शिव कुमार कटियार	– सदस्य
5. डा. नन्दलाल शुक्ला	– सदस्य
6. डा. डी. के. भट्ट	– सदस्य
7. डा. शिप्रा सक्सेना	– सदस्य
8. डा. अंजू दत्त	– सदस्य
9. डा. वी. के. सिंह	– सदस्य
10. डा. सतीश कुमार	– सदस्य
11. प्रो. प्रेमशंकर मिश्रा	– सदस्य
12. प्रो. एम. एम. सिंह	– विशेष आमंत्री सदस्य
13. श्री धर्मपाल	– वित्त अधिकारी
14. श्री चन्द्रपाल तिवारी	– कुलसचिव / सचिव
15. प्रो. प्रतीक अग्रवाल	– समन्वयक प्रवेश–2018 / विशेष आमंत्री

कार्यवाही –

सर्वप्रथम माननीय कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा प्रो. सुरेन्द्र दुबे, कुलपति बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर का कुलपति बनाये जाने एवं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में नये कुलपति के नियुक्त होने तक कुलपति के पद का कार्यभार देखते रहने के आदेश पर परिषद् द्वारा हार्दिक बधाई दी गई तथा उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय के हुए चहुंमुखी विकास एवं नकलविहीन परीक्षाओं, पारदर्शी मूल्यांकन, हिन्दी विभाग की स्थापना तथा प्रत्येक वर्ष में मई माह में सम्पूर्ण परीक्षा परिणाम घोषित कर उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय बनाया जाना, नैक मूल्यांकन, प्रवेश आदि में बढ़ोत्तरी जैसे उत्कृत कार्य सम्पन्न हुए जिस हेतु परिषद् ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

1. **कार्य परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 28.04.2018 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।**

   परिषद् द्वारा अपनी पूर्व बैठक दिनांक 28.04.2018 की कार्यवाही की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गई।

2. **सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 08.05.2018 (झाँसी, ललितपुर, बाँदा, चित्रकूट, महोबा, जालौन, हमीरपुर) एवं दिनांक 10.05.2018 (चित्रकूट) की कार्यवाहियों के अनुमोदन पर विचार।**

परिषद् द्वारा सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 08.05.2018 (झाँसी, ललितपुर, बाँदा, चित्रकूट, महोबा, जालौन, हमीरपुर) एवं दिनांक 10.05.2018 (चित्रकूट) की कार्यवाहियों के अनुमोदन प्रदान किया।

इसके अतिरिक्त अल अब्राहिम महाविद्यालय, अमरपुर, बबीना, झाँसी एवं पं. श्रवण कुमार द्विवेदी महेश कुमार पाण्डेय महाविद्यालय, हुसैपुरा, जौलान की सम्बद्धता समाप्ति के प्रकरण पर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि दोनों महाविद्यालयों को पहले नियमानुसार कारण बताओं नोटिस जारी किया जाए तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया।

3. राजभवन के पत्र संख्या ई–3942/जी.एस. दिनांक 22.05.2018 परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परिषद् के समक्ष सुश्री जूथिका पाटणकर, प्रमुख सचिव, माननीय कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश का पत्र संख्या ई–3942/जी.एस. दिनांक 22.05.2018 प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा सूचित किया गया है कि प्रो. सुरेन्द्र दुबे, कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी का कार्यकाल दिनांक 22.05.2018 को समाप्त हो रहा है। उनके स्थान पर कुलपति के नाम की संस्तुति हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा – 12(1) के अन्तर्गत खोज समिति का गठन किया जाना है। तदनुसार अधिनियम की धारा –12(2)(क) के अन्तर्गत खोज समिति में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा नामित किया जाने के क्रम में परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से निम्नांकित शिक्षाविद् को नामित किया गया –

प्रो. उदय प्रताप सिंह
पूर्व कुलपति, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर
पूर्व अध्यक्ष, उ.प्र.राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन समिति
704 बी, राजेन्द्र नगर (ईस्ट) गोरखपुर – 273015
मो. 09415980542, ई मेल – upsingh300@gmail.com

तदनुसार राजभवन को सूचित करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

4. अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक 08.06.2018 (झाँसी, ललितपुर, बाँदा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा) की कार्यवाहियों के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक 08.06.2018 (झाँसी, ललितपुर, बाँदा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा) की कार्यवाहियों का अनुमोदन किया गया। परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि अनापत्ति प्राप्त इन महाविद्यालयों की सम्बद्धता आगामी सत्र 2019–20 से दी जायेगी तथा इस वर्ष से नये महाविद्यालय खोलने के लिए रोकी गई अनापत्ति एवं सम्बद्धता को पुनः प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 13.06.2018 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 13.06.2018 की कार्यवाही का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

साथ ही विद्या परिषद् द्वारा बिन्दु संख्या 14(2) जिस पर पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन विभाग में Integrated BHM&CT-MHM&CT प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में बनाई गई समिति की बैठक दिनांक 14.06.2018 की संस्तुतियों को परिषद् द्वारा स्वीकार करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुमोदन किया गया।

6. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।

(1) **डा. ओमप्रकाश सिंह, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.) विधि संस्थान का चयन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में सहायक आचार्य के पद पर चयन होने तथा वहॉ कार्यभार ग्रहण करने हेतु उनके द्वारा विश्वविद्यालय से मांगा गया दिनांक 29.04.2018 से 28.04.2019 तक (एक वर्ष) का अवैतनिक अवकाश विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/9966–72 दिनांक 02.05.2018 द्वारा स्वीकृत किये जाने की सूचना।**

परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से डा. ओमप्रकाश सिंह, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.) विधि संस्थान का चयन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में सहायक आचार्य के पद पर चयन होने तथा वहॉ कार्यभार ग्रहण करने हेतु विश्वविद्यालय से उनके द्वारा मांगा गया दिनांक 29.04.2018 से 28.04.2019 तक (एक वर्ष) का अवैतनिक अवकाश विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/9966–72 दिनांक 02.05.2018 द्वारा स्वीकृत किया गया। परिषद् द्वारा उपर्युक्त सूचना से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।

(2) **प्रो. देवेश निगम – आचार्य, पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन विभाग को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/07–15 दिनांक 03.05.2018 द्वारा अग्रिम आदेशों तक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण नियुक्त किये जाने की सूचना।**

परिषद् प्रो. देवेश निगम – आचार्य, पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन विभाग को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/07–15 दिनांक 03.05.2018 द्वारा अग्रिम आदेशों तक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण नियुक्त किये जाने की सूचना से अवगत हुई।

साथ ही यह निर्णय लिया गया कि परिनियम 2.14 में दी गई व्यवस्था के अनुसार इनका कार्यकाल कार्यभार ग्रहण की तिथि 03.05.2018 से तीन वर्ष का होगा।

(3) स्ववित्त पोषित योजेना के अन्तर्गत नियुक्त फार्मासिस्ट श्री दुर्गेश नारायण की प्रभारी स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा उनकी उत्कृष्ट सेवाओं की संस्तुति पर स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत अन्य कर्मचारियों की भॉति विस्तारित करने हेतु विचार।

परिषद् द्वारा श्री दुर्गेश नारायण – फार्मासिस्ट (एस.एफ.एस.) की सेवाओं को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के आधार पर स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत अन्य कर्मचारियों की भांति विस्तारित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।

(4) डा. (मो.) शमीम अंसारी – सह आचार्य, बैंकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में सह– आचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बी.यू./एडमिन/2017/173–80 दिनांक 22 अप्रैल 2017 के द्वारा दिनांक 23.04.2017 से 22.04.2019 तक अवैतनिक असाधारण अवकाश पर थे। उक्त कम में उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2018 द्वारा बैंकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग के सह आचार्य (मौलिक पद सहायक आचार्य) पद से अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया है। अतः उनका त्यागपत्र स्वीकृत करने हेतु परिषद् के समक्ष पत्रावली अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद् ने डा. (मो.) शमीम अंसारी – सह आचार्य, बैंकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त द्वारा अपने बैंकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग के सह आचार्य (मौलिक पद सहायक आचार्य) पद से अपना त्यागपत्र को स्वीकार करते हुए कुलसचिव को इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकृत किया।

(5) आर्किटेक्चर एवं टाउन प्लानिंग विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु दिनांक 31 मार्च 2018 को आयोजित चयन समिति की बैठक में की गई संस्तुतियों के बन्द लिफाफे परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद् के समक्ष स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आर्किटेक्चर एवं टाउन प्लानिंग विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु दिनांक 31 मार्च 2018 को आयोजित चयन समिति की बैठक में की गई संस्तुतियों के बन्द लिफाफे खोले गये। परिषद् द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों का निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया –

सहायक आचार्य (अनारक्षित UR) – 1. जया श्रीवास्तव

2. पूजा अग्रवाल

3. राहुल पाठक

प्रतीक्षा सूची में – 1. हर्षवर्धन शुक्ल

सहायक आचार्य (अन्य पिछड़ा वर्ग OBC) – 1. मुहम्मद कयूम

प्रतीक्षा सूची में – 1. प्रीति जायसवाल

(6) **आगामी सत्र 2018–19 की प्रवेश प्रकिया में उठाये गये नवीन कदम एवं उपायों के सम्बन्ध में प्रो. प्रतीक अग्रवाल –समन्वयक–प्रवेश 2018 द्वारा परिषद् के समक्ष विवरण प्रस्तुत।**

प्रो. प्रतीक अग्रवाल – समन्वयक प्रवेश 2018 ने विशेष आमंत्री सदस्य के रूप में परिषद् को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दिनांक 03 व 04 जुलाई, 2018 को सत्र 2018–19 विश्वविद्यालय परिसर सहित लखनऊ एवं इलाहाबाद में बनाये गए परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है। प्रवेश परीक्षा के आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15 जून 2018 थी। प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय के 04 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है। उक्त प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र दिनांक 20 जून, 2018 से निर्गत किये जायेंगे। प्रवेश पत्र डाक-घर से पजीकृत डाक के द्वारा प्रत्येक छात्र के पते पर भेजे जायेंगे एवं छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भी दिनांक 24 जून, 2018 से डाउनलोड कर सकते है।

प्रवेश परीक्षा एवं सीधे प्रवेश के आवेदन पत्र की संख्या वर्तमान वर्ष में पिछले वर्ष से काफी अधिक है। जिसमें सीधे प्रवेश के आवेदन करने की अन्तिम तिथि विलम्ब शुल्क के साथ दिनांक 25 जून,2018 हैं। आवेदन पत्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी हेतु किये गये विभिन्न प्रयासों को प्रो. प्रतीक द्वारा विस्तृत रूप में परिषद् को अवगत कराया गया जिसे पर परिषद् द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा किये गये प्रयासों की सराहना की।

परिषद् की पूर्व बैठक 28.04.2018 में विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम जिसमें ए0के0टी0यू0, लखनऊ के माध्यम से पूर्व वर्षो में प्रवेश किये जाते थे, जिसमें कुछ विभागों में सीटे रिक्त रह जाती थी। इस बार विश्वविद्यालय द्वारा 50 प्रतिशत सीटे अपने स्तर से भरने का निर्णय लिया गया था, का जिसका विज्ञापन आज दिनांक 02.06.2018 को जारी कर दिया गया है, जिसमें छात्र/छात्राओं को ऑन लाइन एवं ऑफ लाइन आवेदन करके सीधे प्रवेष लेने का अवसर दिया गया है। उक्त पाठ्यक्रमों में दिनांक 15.06.2018 तक लगभग 90 आवेदन प्राप्त हो चुके है। आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 16 जून, 2018 हैं एवं उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिनांक 19 जून, 2018 को सम्बन्धित विभाग द्वारा किये जायेंगें।

परिषद् उक्त से अवगत हुई।

(7) **प्रो. एस. पी. सिंह – आचार्य, भू विज्ञान विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो डी.एस.टी. द्वारा दिये गये इन्फास्ट्रक्चर एण्ड इक्यूपमेंट सपोर्ट प्रोजेक्ट द्वारा एक शोध केन्द्र ग्राउण्ड वाटर एनालिटिकल रिसर्ज सेन्टर की स्थापना एवं इसके पानी की जांच सम्बन्धी परामर्श केन्द्र के रूप में कार्य करने के सम्बन्ध में परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा प्रो. एस. पी. सिंह – आचार्य, भू विज्ञान विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए कुलसचिव को अधिकृत किया कि ऐसे अन्य विभागों जिनमें कृषि विभाग, पर्यावरण विभाग, आर्किटेक्चर विभाग, विधि विभाग आदि को भी पत्र भेजकर इस दिशा में पहल करने हेतु सूचित किया जाये।

(8) **कुलसचिव द्वारा परिषद् को सूचित किया गया कि इस वर्ष काफी संख्या में छात्र–छात्रायें अनुत्तीर्ण होने के कारण महाविद्यालयो से भूतपूर्व छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क को माफ किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में विचार किया जाना है।**

परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2017–18 में अनुत्तीर्ण हुए भूतपूर्व छात्रों से लिये जाने वाला शुल्क एक वर्ष (2018–19) हेतु स्थगित किया जाये तथा उनसे प्रतीकात्मक शुल्क रू. 100/– (रू. सौ मात्र) लिया जाएगा।

(9) **डा. डी. के. भट्ट द्वारा परिषद् के समक्ष सेवानिवृत्त शिक्षकों को आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय में पुनः सेवा में रखे जाने का प्रस्ताव रखा।**

परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया कि सेवानिवृत्त शिक्षक की पूर्व सेवाओं के परीक्षणोपरान्त एवं विश्वविद्यालय की आवश्यता एवं उनकी उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए कुलसचिव / कुलपति को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

15/06/18

(चन्द्रपाल तिवारी)
कुलसचिव

(प्रो. सुरेन्द्र दुबे)
कुलपति